

उत्तर प्रदेश शासन
खेल अनुभाग

संख्या- 05/2017/1320/बयालिस-2017-126(एस0पी0)/1975 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2017

विज्ञापि / संशोधन
विविध

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय खेल अनुभाग की विज्ञापि संख्या - 1694/75-126(एस0पी0)/75 दिनांक 22 जुलाई 1975 के साथ पठित विज्ञापि संख्या- एस0पी0- 1695/42-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 09 अप्रैल, 1979, शासनादेश संख्या- एस0पी0- 3161/बयालिस-126 स्प0/75 दिनांक 18 अगस्त, 1983, संख्या -एस0पी0- 1820/42-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 26 अगस्त, 1987, संख्या- 2138/बयालिस-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 18 जुलाई 1992 संख्या- 418(1)/बयालिस- 96-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 14 मार्च, 1996, संख्या- 611/बयालिस-2000-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 23 मार्च, 2000, संख्या- 1179/बयालिस- 2002-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 06 मई, 2002 तथा संख्या- 3503/बयालिस- 2002-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 11 नवम्बर, 2002, एवं संशोधन विज्ञापि संख्या- 1204/बयालिस'2003-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 29 मार्च, 2003, शासनादेश संख्या- 3234/बयालिस- 2014-126 (एस0पी0)/75 दिनांक 04 मार्च 2014 तथा संख्या- 2032 /बयालिस- 2014 -126(एस0पी0)/75 टी0सी0 दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में लक्ष्मण पुरस्कार/ रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान करने हेतु तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत नियम व शर्तें निर्धारित करते हुए संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

1- राज्य स्तर पर खेल में सन्निवर प्रतियोगिताओं में विशेष निपुणता दिखाने वाले पुरुष खिलाड़ियों को " लक्ष्मण पुरस्कार " तथा महिला खिलाड़ियों को " रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार " प्रदान किया जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश खेल विदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य क्रीडा संघों (स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन) से निम्नलिखित खेलों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किये जाने के लिए प्रतिवर्ष सिफारिशें माँगी जायेगी :-

पूर्व शासनादेशों में निर्धारित खेल	वर्तमान में निर्धारित खेल पुरुष / महिला वर्गों में
-1तैराकी	-1तैराकी
-2तीरंदाजी	-2तीरंदाजी
-3एथलेटिक्स (याम दौड आदिव्या)	-3एथलेटिक्स
-4बैडमिंटन	-4बैडमिंटन
-5बास्केटबाल	-5बास्केटबाल
-6बाक्सिंग (पुरुष)	-6बाक्सिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

-7कैनोइंग एण्ड केयाकिंग	-7कैनोइंग एण्ड केयाकिंग
-8साइकिलिंग	-8साइकिलिंग
-9घुडसवारी (महिला/पुरुष)	-9घुडसवारी
-10तलवारबाजी	-10तलवारबाजी
-11फुटबाल	-11फुटबाल
-12जिम्नास्टिक	-12जिम्नास्टिक
-13हैण्डबाल	-13हैण्डबाल
-14हॉकी	-14हॉकी
-15जुडो	-15जुडो
-16कबड्डी	-16कबड्डी
-17खो- खो	-17खो- खो
-18रोइंग	-18रोइंग
-19शूटिंग	-19शूटिंग
-20टेबुल टेनिस	-20टेबुल टेनिस
-21टेनिस	-21लान टेनिस
-22वालीबाल	-22वालीबाल
-23भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग तथा सर्वोत्तम शरीर गठन - बेस्ट फिजिक	-23भारोत्तोलन / बेस्ट फिजिक
-24कुश्ती	-24कुश्ती
-25ताइक्वान्डो	-25ताइक्वान्डो
-26याचिंग	-26याचिंग
-27विन्टर गेम्स	-27विन्टर गेम्स
-28गोल्फ	-28गोल्फ
-29क्रिकेट	-29क्रिकेट
-30टेनिसबाल क्रिकेट	-30टेनिसबाल क्रिकेट
-31साफ्ट टेनिस	-31साफ्ट टेनिस

3- आधार पर: उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में किसी वर्ष विशेष में एक पुरुष एवं एक महिला खिलाड़ी को क्रमशः लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जा सकता है।

जिन खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार अनुमन्य किया जाना है, उन खिलाड़ियों की उपलब्धि क्रमांक- 16 में उल्लिखित अंक तालिका के अनुसार अंकों की गणना की जायेगी। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के वेटरन वर्ग के आवेदनकर्ताओं हेतु निर्धारित आयु सीमा 40 वर्ष है। वेटरन वर्ग में जिस वर्ष के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 01 अप्रैल को खिलाड़ी की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होने पर पात्रता मान्य होगी। वेटरन वर्ग में उपरोक्त निर्धारित खेलों में से किन्हीं दो खेलों के ऐसे वृद्ध (वेटरन) महिला व पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, जिसके द्वारा सम्बन्धित खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (अंकों हेतु निर्धारित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं) में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश व देश का बौरव बढ़ाया गया हो। लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा वेटरन वर्ग के खिलाड़ियों की उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार अनुमन्य किया जायेगा।

4- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्बन्धित सिफारिश राज्य क्रीडा संघों से मांगी जायेगी जो उनके द्वारा परिशिष्ट के प्रोफार्मा (निदेश) में निर्दिष्ट दिनांक तक भेजी जायेगी। राज्य क्रीडा संघों द्वारा खिलाड़ियों की संस्तुति करते हुए उनका खेल प्रमाण-पत्र सत्यापित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी खिलाड़ियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेंगे।

आवेदित खिलाड़ी द्वारा भी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सीधे खेल निदेशालय को निर्धारित प्रारूप पर अपने खेल प्रमाण-पत्र राज्य क्रीडा संघों के सचिव से सत्यापित कराकर उपलब्ध कराये जायेंगे।

5- खेल निदेशालय राज्य क्रीडा संघों से प्राप्त सभी सिफारिशों की जांच करेगी तथा पुरस्कृत किये जाने के लिए अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार अपने विवेकानुसार विशेषज्ञों की समिति गठित कर लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

6- यदि राज्य क्रीडा संघ यह तो खेल निदेशालय को किसी विशेष खेल में एक से अधिक नामों की सिफारिश कर सकता है किन्तु नामों की संख्या तीन से अधिक नहीं होनी चाहिए। खेल निदेशालय पुरुष एवं महिला वर्गों में प्राप्त आवेदनों में से पात्र खिलाड़ियों की संस्तुति शासन को भेजेगा।

7- राज्य क्रीडा संघों द्वारा की गयी सिफारिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार सीधे भी किसी खिलाड़ी को, जो वर्ष में श्रेष्ठ माना गया हो, उसे पुरस्कृत कर सकती है।

8- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से अलंकृत करने के लिए शासन द्वारा ऐसे खिलाड़ियों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हो :-

(क)- खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (bonafide resident) होना चाहिए।

(ख)- खिलाड़ी कम से कम 03 बार प्रदेशीय सीनियर टीम का सदस्य रहा हो और राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में भाग लिया हो और साथ ही उस वर्ष में जिसके लिए पुरस्कृत किये जाने की सिफारिश की जाती है, उस वर्ष में उसके द्वारा पदक अर्जित किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ग)- यदि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप में प्रतिभाग किया हो तथा वह क्रमांक- 16 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करता है, तो उसे भी पात्र माना जायेगा।

9- पुरस्कार देने के लिए चयन में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

10- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार में एक कॉंस्य (Bronze status) और एक वर्तिलेख (scroll) सम्मिलित है, विजेताओं को एक विशेष समारोह में भेंट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर्ता को रू0 3,11,000/- (रू0 तीन लाख ग्यारह हजार मात्र) एक मुश्त नकद धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

11- किसी सिफारिश के सम्बन्ध में किसी भी रूप के कन्वेसिंग (उपार्थना) करने से उस प्रविष्ट को अनर्ह (disqualified) ठहराया जा सकेगा।

12- एक व्यक्ति को एक ही बार पुरस्कृत किया जायेगा।

13- पुरस्कार मरणोपरान्त भी दिया जा सकता है।

14- सरकार किसी भी व्यक्ति का नाम पुरस्कृत स्पोर्ट्स मैगज़ीन की सूची से निरसित कर सकती है और उस दिशा में ऐसे व्यक्ति से उसकी दी गयी प्रतिमा तथा वर्तिलेख का वापस करने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रकार निरस्तता अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

15- उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसे पुरस्कृत करने की सिफारिश की हो और उससे इस सम्मान को पाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह समझा जाएगा कि उसने इस नियमों को स्वीकार कर लिया है।

16- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं एवं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिताओं हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क्रसं०	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितायें	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कॉंस्य पदक
01	02	03	04	05
-01	ओलम्पिक गेम्स	60	55	50
-02	विश्व चैम्पियनशिप / विश्व कप (04 वर्ष के अन्तराल में आयोजित होने पर)	55	50	45
-03	एशियन गेम्स	50	45	40
-04	कामनवेल्थ गेम्स	50	45	40
-05	एशियन चैम्पियनशिप एवं कामनवेल्थ चैम्पियनशिप (04 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली)	40	35	30
-06	सैफ गेम्स	15	12	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

-07	राष्ट्रीय खेल	08	07	06
-08	राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप	07	06	05

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी से क्र०- 01 से 05 तक उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ियों को अंक उपरोक्तानुसार अनुमन्य किया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन सैन्य स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

17- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय गेम्स/सैफ गेम्स में मात्र प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

मो. इफतेखारुद्दीन
अपर मुख्य सचिव

संख्या - 1320 (1) बयालिस-2017 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- 2- निदेशक, खेल उत्तर प्रदेश, खेल निदेशक, लखनऊ ।
- 3- गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर प्रति ।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।